

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 31  
वित्तीय सेवा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	15510.95	27566.03	43076.98	4135.52	29620.00	33755.52	3558.62	33206.38	36765.00	2731.99	16886.02	19618.01
<b>वसूलियां</b>	-873.02	...	-873.02	...	-1780.00	-1780.00	...	-5125.00	-5125.00	...	-2168.00	-2168.00
<b>प्राप्तियां</b>	-100.00	...	-100.00	...	...	...	-140.00	...	-140.00	-0.01	...	-0.01
<b>निवल</b>	<b>14537.93</b>	<b>27566.03</b>	<b>42103.96</b>	<b>4135.52</b>	<b>27840.00</b>	<b>31975.52</b>	<b>3418.62</b>	<b>28081.38</b>	<b>31500.00</b>	<b>2731.98</b>	<b>14718.02</b>	<b>17450.00</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	32.89	...	32.89	36.36	...	36.36	34.26	...	34.26	42.92	...	42.92
2. निदेशन और प्रशासन												
2.01 विशेष न्यायालय का कार्यालय	3.18	...	3.18	4.14	...	4.14	3.64	...	3.64	4.14	...	4.14
2.02 अभिरक्षक के कार्यालय	5.54	...	5.54	8.20	...	8.20	6.94	...	6.94	9.36	...	9.36
2.03 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर)	2.13	...	2.13	2.15	...	2.15	5.41	...	5.41	...	...	...
2.04 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड (बीआईएफआर)	6.87	...	6.87	7.97	...	7.97	10.18	...	10.18	...	...	...
2.05 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	73.10	...	73.10	95.74	...	95.74	95.47	...	95.47	109.29	...	109.29
2.06 न्यायालय परिसमापक का कार्यालय	0.40	...	0.40	0.17	...	0.17	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
जोड़- निदेशन और प्रशासन	91.22	...	91.22	118.37	...	118.37	121.84	...	121.84	122.99	...	122.99
3. वास्तविक वसूलियां	-873.02	...	-873.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>-748.91</b>	<b>...</b>	<b>-748.91</b>	<b>154.73</b>	<b>...</b>	<b>154.73</b>	<b>156.10</b>	<b>...</b>	<b>156.10</b>	<b>165.91</b>	<b>...</b>	<b>165.91</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण</b>												
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूजीकरण	...	25000.00	25000.00	...	25000.00	25000.00	...	25000.00	25000.00	...	10000.00	10000.00
5. राष्ट्रीय निवेश कोष के लिए स्थानांतरण (एनआईएफ)	...	...	...	...	1780.00	1780.00	...	5125.00	5125.00	...	2168.00	2168.00
6. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से प्राप्त राशि- कम	...	...	...	...	-1780.00	-1780.00	...	-5125.00	-5125.00	...	-2168.00	-2168.00
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण</b>	<b>...</b>	<b>25000.00</b>	<b>25000.00</b>	<b>...</b>	<b>25000.00</b>	<b>25000.00</b>	<b>...</b>	<b>25000.00</b>	<b>25000.00</b>	<b>...</b>	<b>10000.00</b>	<b>10000.00</b>
<b>वित्तीय संस्थाओं को समर्थन</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की शेयर पूंजी में अभिदान	...	1300.00	1300.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00
8. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में अभिदान	...	300.00	300.00	...	500.00	500.00	...	1400.00	1400.00	...	3500.00	3500.00
9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण	...	15.00	15.00	...	140.00	140.00	...	5.50	5.50	...	68.00	68.00
10. सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (सुद्रा बैंक) के लिए इक्विटी पूंजी	...	100.00	100.00	...	900.00	900.00	...	900.00	900.00	...	0.01	0.01
11. भारत अवसंरचना वित्तीय कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	500.00
12. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
13. स्टार्ट-अप इंडिया- भारत आकांक्षा निधि	...	500.00	500.00	...	600.00	600.00	...	100.00	100.00	...	...	...
14. विदेशी सहायता संघटक के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	37.73	...	37.73	0.01	...	0.01	45.10	...	45.10	0.01	...	0.01
15. आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान	...	...	...	...	...	...	37.27	...	37.27	0.01	...	0.01
16. इंडो स्विस कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	5.39	...	5.39	0.88	...	0.88	0.87	...	0.87	0.93	...	0.93
17. आवास ऋण पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सस्मिडी	84.80	...	84.80	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
18. लाइसेंस रहित जिला मध्य वर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के पुनर्जीवन हेतु नाबार्ड को ऋण	...	111.22	111.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19. भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता	...	190.00	190.00	...	200.00	200.00	...	175.88	175.88	...	150.00	150.00
20. भारत में सूक्ष्म वित्त तक पहुंच में सुधार के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी) को विश्व बैंक सहायता	...	49.81	49.81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम में अभिदान के लिए प्रतिभूति मोचन निधि (एसआरएफ) में अंतरण	625.00	...	625.00	625.00	...	625.00	625.00	...	625.00	625.00	...	625.00
22. दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन												
22.01 सकल बजटीय सहायता	100.00	...	100.00	...	...	...	140.00	...	140.00	0.01	...	0.01
22.02 कम - दबाव वाली परिसंपत्तियों स्थिरीकरण कोष की वसूली	-100.00	...	-100.00	...	...	...	-140.00	...	-140.00	-0.01	...	-0.01
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-वित्तीय संस्थाओं को समर्थन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं</b>	<b>752.92</b>	<b>2566.03</b>	<b>3318.95</b>	<b>625.89</b>	<b>2840.00</b>	<b>3465.89</b>	<b>708.24</b>	<b>3081.38</b>	<b>3789.62</b>	<b>625.96</b>	<b>4718.02</b>	<b>5343.98</b>
23. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) को सहायता	10.00	...	10.00	100.00	...	100.00	10.00	...	10.00	50.00	...	50.00
24. स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत एनपीएस में सरकार का सह-अंशदान	250.64	...	250.64	209.00	...	209.00	...	...	...	50.00	...	50.00
25. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान	173.00	...	173.00	200.00	...	200.00	40.00	...	40.00	155.00	...	155.00
26. आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के अभिदाताओं को सरकार का सह-अंशदान	437.50	...	437.50	450.00	...	450.00	100.00	...	100.00	350.00	...	350.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
27. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) - 2014 के अंतर्गत भुगतान किए गए सेवाकर को वापस करना	...	...	...	...	...	...	109.32	...	109.32	...	...	...
28. वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को ब्याज सब्सिडी	101.79	...	101.79	171.90	...	171.90	136.56	...	136.56	250.00	...	250.00
29. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता)	...	...	...	50.00	...	50.00	5.00	...	5.00	20.00	...	20.00
<b>जोड़-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं</b>	<b>972.93</b>	...	<b>972.93</b>	<b>1180.90</b>	...	<b>1180.90</b>	<b>400.88</b>	...	<b>400.88</b>	<b>875.00</b>	...	<b>875.00</b>
<b>क्रेडिट गारंटी निधियां</b>												
30. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा)	500.00	...	500.00	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	520.00	...	520.00
31. स्टेण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा)	...	...	...	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	520.00	...	520.00
32. फैक्ट्रिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के द्वारा)	...	...	...	135.00	...	135.00	135.00	...	135.00	0.01	...	0.01
33. फैक्ट्रिंग के लिए साख गारंटी निधि (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के जरिए (सिडबी))	40.00	...	40.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34. किसानों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता	13000.00	...	13000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-क्रेडिट गारंटी निधियां</b>	<b>13540.00</b>	...	<b>13540.00</b>	<b>2135.00</b>	...	<b>2135.00</b>	<b>2135.00</b>	...	<b>2135.00</b>	<b>1040.01</b>	...	<b>1040.01</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>15265.85</b>	<b>27566.03</b>	<b>42831.88</b>	<b>3941.79</b>	<b>27840.00</b>	<b>31781.79</b>	<b>3244.12</b>	<b>28081.38</b>	<b>31325.50</b>	<b>2540.97</b>	<b>14718.02</b>	<b>17258.99</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
35. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	20.99	...	20.99	39.00	...	39.00	18.40	...	18.40	25.10	...	25.10
<b>कुल जोड़</b>	<b>14537.93</b>	<b>27566.03</b>	<b>42103.96</b>	<b>4135.52</b>	<b>27840.00</b>	<b>31975.52</b>	<b>3418.62</b>	<b>28081.38</b>	<b>31500.00</b>	<b>2731.98</b>	<b>14718.02</b>	<b>17450.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष सामान्य सेवाएं</b>												
1. अन्य राजकोपीय सेवाएं	8.72	...	8.72	12.34	...	12.34	10.58	...	10.58	13.50	...	13.50
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	32.89	...	32.89	36.36	...	36.36	34.26	...	34.26	42.92	...	42.92
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	103.07	...	103.07	144.86	...	144.86	129.46	...	129.46	134.39	...	134.39
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>144.68</b>	...	<b>144.68</b>	<b>193.56</b>	...	<b>193.56</b>	<b>174.30</b>	...	<b>174.30</b>	<b>190.81</b>	...	<b>190.81</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
4. सामान्य शिक्षा	-873.00	...	-873.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	972.93	...	972.93	1180.90	...	1180.90	400.88	...	400.88	875.00	...	875.00
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>99.93</b>	...	<b>99.93</b>	<b>1180.90</b>	...	<b>1180.90</b>	<b>400.88</b>	...	<b>400.88</b>	<b>875.00</b>	...	<b>875.00</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
6. कृषि वित्तीय संस्थान	13005.39	...	13005.39	0.88	...	0.88	38.14	...	38.14	0.94	...	0.94
7. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	122.53	...	122.53	0.01	...	0.01	45.10	...	45.10	0.02	...	0.02
8. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	1165.00	...	1165.00	2760.00	...	2760.00	2760.00	...	2760.00	1665.01	...	1665.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.40	...	0.40	0.17	...	0.17	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
10. कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	...	315.00	315.00	...	640.00	640.00	...	1405.50	1405.50	...	3568.00	3568.00
11. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय	...	1300.00	1300.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	1000.01	1000.01
12. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	25600.00	25600.00	...	26500.00	26500.00	...	26000.00	26000.00	...	10000.01	10000.01
13. कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	...	111.22	111.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	...	239.81	239.81	...	200.00	200.00	...	175.88	175.88	...	150.00	150.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>14293.32</b>	<b>27566.03</b>	<b>41859.35</b>	<b>2761.06</b>	<b>27840.00</b>	<b>30601.06</b>	<b>2843.44</b>	<b>28081.38</b>	<b>30924.82</b>	<b>1666.17</b>	<b>14718.02</b>	<b>16384.19</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>14537.93</b>	<b>27566.03</b>	<b>42103.96</b>	<b>4135.52</b>	<b>27840.00</b>	<b>31975.52</b>	<b>3418.62</b>	<b>28081.38</b>	<b>31500.00</b>	<b>2731.98</b>	<b>14718.02</b>	<b>17450.00</b>

1. **सचिवालय- सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- 2.01. **विशेष न्यायालय का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रतिभूतियों के लेन-देन में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संब्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के कार्यालय के लिए है।
- 2.02. **निदेशन और प्रशासन:** यह प्रावधान अभिरक्षक के कार्यालय के लिए है।
- 2.05. **ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी):** यह प्रावधान ऋण वसूली अधिकरण के लिए है।
- 2.06. **न्यायालय परिसमापक का कार्यालय:** यह प्रावधान न्यायालय परिसमापक के कार्यालय के लिए है।
4. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण:** यह प्रावधान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण के लिए है ताकि वे अपने टियर-1 सीआरएआर को सहज स्थिति में बनाए रख सकें।
5. **राष्ट्रीय निवेश कोष के लिए स्थानांतरण (एनआईएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण के लिए है।
6. **राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से प्राप्त राशि- कम:** बैंकों के पुनःपूंजीकरण के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) से मुलाकात की है।
7. **भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की शेयर पूंजी में अभिदान:** यह प्रावधान बैंक की चुकता पूंजी को इसकी प्राधिकृत पूंजी के स्तर तक बढ़ाने के लिए इक्विटी सहायता/अभिदान के रूप में एक्जिम बैंक के लिए है।

8. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में अभिदान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की पूंजी को बढ़ाने के लिए है। इसमें 500 करोड़ रुपये पोलावरम परियोजना को ऋण देने के लिए शामिल है।
9. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनःपूंजीकरण:** यह प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूंजीकरण के लिए है।
10. **सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा बैंक) के लिए इक्विटी पूंजी:** यह प्रावधान मुद्रा बैंक की पूंजी में वृद्धि के लिए है।
11. **भारत अवसंरचना वित्तीय कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता:** यह प्रावधान कारोबार संबंधी कार्यक्रम तथा पूंजी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए आईआईएफसीएल को इक्विटी सहायता के लिए है।
12. **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता:** यह प्रावधान आईएफसीआई को इक्विटी सहायता के लिए है।
14. **विदेशी सहायता संघटक के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान:** यह प्रावधान भारत सरकार और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय ऋण समझौते के अंतर्गत क्रेडिटएन्स्टाल्ट फर वाइडरौफआउट (केएफडब्ल्यूटर ) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को प्रदत्त लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए व्याज विभेदक निधि (आईडीएफ) के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक जमा के लिए अनुदान के भुगतान हेतु है।
15. **आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान:** यह प्रावधान आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान के लिए है।
16. **इंडो स्विस कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान:** यहा प्रावधान इंडो स्विस कॉर्पोरेशन 6 के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को भुगतान हेतु है।

19. **भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता:** यह प्रावधान भारत में सूक्ष्म वित्त के विस्तार में सुधार लाने के लिए भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता के लिए है।

21. **भारतीय स्टेट बैंक के ईक्रेडिटी शेयर के अधिकार निर्गम में अभिदान के लिए प्रतिभूति मोचन निधि (एसआरएफ) में अंतरण:** यह प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक के इक्रेडिटी शेयर के अधिकार निर्गम में अभिदान के प्रति जारी प्रतिभूतियों के मोचन हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण के लिए है।

22. **दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन:** यह प्रावधान आईडीबीआई बैंक को दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों के मोचन के लिए है।

23. **प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) को सहायता:** यह प्रावधान योजना की कुछेक पात्रता शर्तों के अध्यधीन पीएमजेडीवाई के सभी खाताधारकों को जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए है।

24. **स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत एनपीएस में सरकार का सह-अंशदान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत अपने आप को नामांकित करवाकर अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैजच्छिक रूप से बचत करने के लिए असंगठित क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत निधियन सहायता के लिए है।

25. **अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान:** यह प्रावधान अटल पेंशन योजना के अंतर्गत एग्रीग्रेटर को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने और प्रचार अभियान के लिए पीएफआरडीए को निधियन सहायता के लिए सरकार के सह-अंशदान हेतु है।

26. **आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के अभिदाताओं को सरकार का सह-अंशदान:** यह प्रावधान आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निधि और छात्रवृत्ति निधि में सरकार का अंशदान प्रदान करने के लिए है।

27. **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) – 2014 के अंतर्गत भुगतान किए गए सेवाकर को वापस करना:** यह प्रावधान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना – 2014 के अंतर्गत भुगतान किए गए सेवाकर को वापस के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करने के लिए है।

28. **वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को ब्याज सब्सिडी:** यह प्रावधान पॉलिसीधारकों को पेंशन/वार्षिकी के प्रति तथा पॉलिसीधारकों के नामिती को क्रय मूल्य के समतुल्य/ एकमुश्ता भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को ब्याज सब्सिडी के भुगतान के लिए है।

29. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता के लिए है।

30. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण देने के लिए ऋण गारंटी निधि के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

31. **स्टैण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान अ.जा./अ.ज.जा. तथा महिला उद्यमियों द्वारा ग्रीन फील्ड उद्यम को बढ़ावा देने हेतु स्टैण्ड-अप इंडिया पहल आरंभ करने के लिए ऋण गारंटी निधि हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।

32. **फैक्टरिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।

35. **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए):** यह प्रावधान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान (सामान्य ) तथा (वेतन) के लिए है।